R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 4 ♦ अक्टूबर 31, 2018

मौद्रिक नीति

चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018–19

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने 5 अक्टूबर 2018 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 6.25 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति की नपी–तुली (कैलिब्रेटेड) सख्ती के रुझान के अनुरूप है जिसका तारतम्य, वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/–2 प्रतिशत के दायरे में रखने के उद्देश्य से भी है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45152)

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य वित्तीय बाजारों के विकास और मजबूती के लिए विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग

ऋण में एफपीआई निवेश के लिए विनियामक ढांचा वर्षों से विकसित हो रहा है, जो पूंजीगत प्रवाह में बढ़ते समझौताकारी समन्वयन और अनुवर्ती समष्टि–विवेकपूर्ण प्रतिफलों से प्रभावित है। ऋण में एफपीआई निवेश की सुविधा के लिए हाल के दिनों में कई उपाय किए गए हैं। लंबी अवधि के निवेश करने के इच्छुक एफपीआई को प्रोत्साहित करने के लिए, 'स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग' (वीआरआर) नामक एक विशेष मार्ग का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्रस्तावित मार्ग के तहत, एफपीआई के पास साधन विकल्पों और साथ ही विनियामक प्रावधानों से छूट के संदर्भ में अधिक परिचालनात्मक लचीलापन होगा जैसे कि अल्पकालिक निवेश (एक वर्ष से भी कम) पर पोर्टफोलियो आकार के 20% तक कैप, संकेंद्रण सीमा और एक कॉर्पोरेट समूह के लिए ऋणग्रस्तता सीमाएं (पोर्टफोलियो आकार का 20% और एकल मुद्दे का 50%)। इस मार्ग के तहत निवेश करने के लिए पात्र होने के लिए, एफपीआई को स्वेच्छा से भारत में अपनी पसंद की अवधि के लिए अपने निवेश का न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत बनाए रखने की प्रतिबद्धता होगी। एफपीआई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से मार्ग के तहत निवेश सीमा के लिए आवेदन करेगा। इस मार्ग पर सार्वजनिक परामर्श के लिए एक चर्चा पत्र आज रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

वित्तीय बेंचमार्क का विनियमन

वित्तीय मानकों की मजबूती और विश्वसनीयता कुशल मूल्य निर्धारण और वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बेंचमार्क की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने से उसके व्यापक रूप से अंगीकरण को बढ़ावा मिलता है, जो बदले में वित्तीय प्रणाली में मूल्य संकेतों के प्रभावी संचरण की सुविधा प्रदान करता है। लंदन अंतर–बैंक प्रस्तावित दर (एलआईबीओआर) निर्धारण के आसपास के विवाद के बाद, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वित्तीय मानक के सिद्धांतों को निर्धारित किया जो वित्तीय बाजारों में मजबूत और विश्वसनीय बेंचमार्क सुनिश्चित करने के लिए अति महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करते हैं। विभिन्न क्षेत्राधिकारों से कई विनियामक इन सिद्धांतों के आधार पर वित्तीय मानकों के लिए विनियमों के लिए आगे आ रहे हैं। भारत में, वित्तीय बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट ने अन्य बातों के साथ, बेंचमार्क प्रशासकों की विनियामक निगरानी की सिफारिश की थी। तदनुसार, बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन को बेहतर बनाने के लिए, वित्तीय बेंचमार्क का एक नियामक ढांचा पेश करने का प्रस्ताव है जो प्रारंभ में, भारतीय वित्तीय बेंचमार्क लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा जारी बेंचमार्क के लिए लागू होगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45153)

बैंकिंग विनियमन

एनबीएफसी और एचएफसी के ऋण के प्रति एलसीआर, एफएएलएलसीआर

रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 को तत्काल प्रभाव से, बैंकों को यह अनुमति दी है कि 19 अक्तूबर 2018 की तिथि तक उनकी बहियों में बकाया एनबीएफसी और एचएफसी को ऋण की राशि के अलावा एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को दिए गए वृद्धिशील बकाया ऋण के समतुल्य राशि तक धारित सरकारी प्रतिभूतियों की भी गणना अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के अंतर्गत एफएएलएलसीआर के तहत स्तर ख एचक्यूएलए के रूप में की जाएगी। यह एनडीटीएल के 13 प्रतिशत के मौजूदा एफएएलएलसीआर के अतिरिक्त होगा, और बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण नहीं करने वाली एनबीएफसी के लिए एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा को 31 दिसंबर, 2018 तक पूंजीगत निधियों के 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11396Mode=0)

बैंकिंग पर्यवेक्षण

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति–उदारीकरण

रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2018 को भारत सरकार के परामर्श से बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को अधिक उदार बनाया तथा सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को कार्यशील पूंजी हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से 3/5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी।

साथ ही, इस व्यवस्था के अंतर्गत लिए गए उधार के लिए ईसीबी ढांचे के अंतर्गत 750 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा समतुल्य राशि की व्यक्तिगत सीमा तथा अनिवार्य हेजिंग अपेक्षाओं से भी छूट दी गई है। तथापि ऐसे ईसीबी के लिए तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा को बाज़ार दर पर अंकित करने की क्रियाविधि तथा विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंध नीति होनी चाहिए। इस प्रकार की ईसीबी के लिए 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य राशि की समग्र सीमा होगी तथा उक्त सुविधा 3 अक्तूबर 2018 से लागू होगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति से संबंधित अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित रहेंगे।

पृष्ठभूमि

वर्तमान नीति के अंतर्गत कार्यशील पूंजी के प्रयोजन से ट्रैक-I तथा ट्रैक-II के अंतर्गत ईसीबी तब जुटाई जा सकती है, जब ऐसी ईसीबी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष इक्विटी-धारकों अथवा समूह कंपनी से जुटाई गई हो, बशर्ते उक्त ऋण 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता के लिए हो। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11384Mode=0)

बैंकों का निरीक्षण नमूना हस्ताक्षरों के सेट

रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 को बैंकों/ वित्तीय संस्थानों बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) की नियुक्ति के संबंध में सूचित किया ।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढांचा लागू होने के परिणामस्वरूप, बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सभी संवाद/ इंटरफेस के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम), एकल संपर्क माध्यम की तरह कार्य कर रहे हैं। जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक वर्ष, रिज़र्व बैंक के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों के नवीनतम सेट की आपूर्ति करनी होती थी, जो अपने अधिकार-क्षेत्र के बैंकों के मुख्य/नियंत्रण कार्यालय/ वित्तीय संस्थानों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के परिचय पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत होते थे। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11398Mode=0)

भुगतान और निपटान प्रणाली

पीपीआई-अंतर-परिचालनीयता के लिए दिशानिर्देश

अंतर-परिचालनीयता के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहने के लिए, सभी चरणों को समर्थ बनाने के लिए समेकित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा 16 अक्तूबर 2018 को जारी किए गए हैं। सहभागिता करने वाले प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) निर्गमकर्ता जो अंतर-परिचालनीयता अपनाने का विकल्प रखते हैं, वे अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) अनुदेशों, लेनदेनों की सुरक्षा और एप्लिकेशन जीवन चक्र, सारबर सुरक्षा, धोखाधड़ी का निवारण और जोखिम प्रबंध के अतिरिक्त इन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, सभी सहभागी पीपीआई निर्गमकर्ता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और संबंधित कार्ड नेटवर्कों की आवश्यकताओं के अनुसार संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और कार्ड नेटवर्कों के जरिए अंतर-परिचालनीयता हासिल करने के लिए तकनीकी विशिष्टताओं/मानकों/अपेक्षाओं से मार्गदर्शित होंगे। एनपीसीआई और कार्ड नेटवर्क यूपीआई और कार्ड नेटवर्कों में पीपीआई निर्गमकर्ताओं की सहभागिता की सुविधा देंगे।

पृष्ठभूमि

- उसमें दी गई रूपरेखा के अनुसार, सभी केवाईसी अनुपालित पीपीआई की अंतर-परिचालनीयता तीन चरणों में समर्थित की जानी थी - संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए वॉलेटों के रूप में जारी पीपीआई की अंतर-परिचालनीयता।
- यूपीआई के जरिए वॉलेटों और बैंक खातों के बीच अंतर-परिचालनीयता और
- कार्ड नेटवर्कों के जरिए कार्डों के रूप में जारी पीपीआई की अंतर-परिचालनीयता। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11393Mode=0)

सहकारी बैंक पर्यवेक्षण

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में बुनियादी साइबर सुरक्षा ढांचा

रिज़र्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2018 को कि सभी यूसीबी पर लागू हाने वाले बुनियादी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए। जाएँ। तथापि, कोई भी यूसीबी अपने स्व-जोखिम मूल्यांकन, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) / सूचना सुरक्षा (आईएस) प्रणाली की जटिलता, प्रस्तावित डिजिटल उत्पादों की प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड के निर्णय के अनुसार उन्नत साइबर सुरक्षा मानदंडों को अपना सकता है।यह देखा गया है कि इस क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी का स्तर भी भिन्न है - कुछ बैंक अपने ग्राहकों को उन्नत डिजिटल उत्पाद प्रदान करते हैं और कुछ बैंक स्टैंड-अलोन कंप्यूटर में अपने बही खाते रखते हैं और अपने ग्राहकों / पर्यवेक्षकों / अन्य बैंकों से संपर्क करने के लिए ई-मेल का उपयोग करते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता

सभी यूसीबी द्वारा बोर्ड/प्रशासक से अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति को तत्काल स्थापित किया जाए, जो कि बैंक के बिज़नस की जटिलता एवं जोखिम के स्वीकार्य स्तर को निहित करनें के दृष्टिकोण से साइबर खतरों को रोकने के लिए उपयुक्त ढ़ाचा एवं नीति प्रदान करें । बोर्ड द्वारा नीति तैयार करने की प्रक्रिया पूरा करने के बाद इस परिपत्र की तारीख से तीन महीने के अंदर सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी - 9, पहली मंजिल, बीकेसी, मुंबई - 400051 को ईमेल द्वारा पुष्टीकरण भेजा जाए। अपनाए जाने वाली प्रौद्योगिकी के स्तर और ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाने वाले डिजिटल उत्पादों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि साइबर सुरक्षा नीति निम्नलिखित व्यापक पहलुओं से संबंधित है:

साइबर सुरक्षा नीति आईटी नीति/आईएस नीति से भिन्न हो

साइबर सुरक्षा नीति यूसीबी की आईटी / आईएस नीति से इस प्रकार भिन्न होनी चाहिए कि उससे साइबर खतरों से उत्पन्न जोखिमों पर प्रकाश डाला जा सके और इन जोखिमों को दूर करने / कम करने के उपाय किए जा सकें। अंतर्निहित जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते समय यूसीबी द्वारा अपनी प्रौद्योगिकियों, वितरण चैनलों, उपलब्ध कराए जाने वाले डिजिटल उत्पादों, आंतरिक और बाहरी खतरों आदि को ध्यान मे रखा जाए। इनमें से प्रत्येक जोखिम को निम्न, मध्यम, उच्च और उच्चतम के रूप में रेटिंग दी जाए।

आईटी आर्किटेक्चर/ढांचा सुरक्षा की दृष्टि से अनुपालित हो

आईटी आर्किटेक्चर / ढांचा जिसमें नेटवर्क, सर्वर, डेटाबेस और एप्लिकेशन, एंड-यूजर सिस्टम इत्यादि शामिल हैं, के द्वारा हमेशा सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाए और बोर्ड या बोर्ड की आईटी उप-समिति द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूसीबी निम्नलिखित कदम उठाएं :

- आईटी प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में कमजोर/ भेद्य क्षेत्रों की पहचान करें
- जहां पर आवश्यक हो, नेटवर्क, डेटाबेस और एप्लिकेशन के लिए सीमित ऐक्सेस की अनुमति दी जाए तथा सुपरिभाषित प्रक्रियाएं और तर्क सहित अनुमोदन के माध्यम से इस तरह के ऐक्सेस की अनुमति दी जाए,
- इन क्षेत्रों में उल्लंघनों / चूक के मामले में लागत का प्रभाव का आकलन करें और,
- उनसे निपटने के लिए उपयुक्त साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित करें,
- उपर्युक्त चरणों में से प्रत्येक चरण के लिए स्पष्ट रूप से ज़िम्मेदारी निर्दिष्ट करें और उनका दस्तावेज़ीकरण करें।

पर्यवेक्षी मूल्यांकन को सक्षम बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया का एक उचित रिकॉर्ड बनाए रखें।

साइबर संकट प्रबंधन योजना

चूंकि साइबर जोखिम कई अन्य जोखिमों से भिन्न है, अत: पारंपरिक बीसीपी / डीआर (बिजनेस कान्टियुटि प्लान / आपदा रिकवरी) व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो सकती है, अत: साइबर जोखिम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन जोखिमों की पुन: समीक्षा की जानी चाहिए। भारत सरकार के एक संगठन, सीईआरटी-इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रेसपांस टीम - भारत, सरकारी संस्था) द्वारा सक्रिय / प्रतिक्रियाशील सेवाएं और दिशानिर्देश, जोखिम आसूचना और वित्तीय क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों की एजेंसियों की तत्परता के मूल्यांकन उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सीईआरटी-इन द्वारा राष्ट्रीय साइबर संकट प्रबंधन योजना और साइबर सुरक्षा आकलन का ढांचा भी तैयार किया गया है। यूसीबी अपने मार्गदर्शन के लिए सीईआरटी-इन / एनसीआईआईपीसी / आरबीआई / आईडीआरबीटी के दिशानिर्देशों का संदर्भ सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।

यूसीबी द्वारा किसी भी साइबर इंट्रूजन (अनधिकृत प्रविष्टियों) का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए ताकि साइबर हमलों के बहाल/ प्रभाव के प्रति सजग हो सके। सेवाएं विशेष रूप से जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, आरटीजीएस / एनईएफटी / आईएमपीएस, स्विफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि प्रदान कर रहे यूसीबी द्वारा विभिन्न साइबर खतरों जैसे सेवा से इनकार (डीओएस), सेवाओं का खंडन (डीडीओएस), रांसोमवेयर / क्रिप्टो वेयर, विनाशकारी मैलवेयर, कारोबार धोखाधड़ी जिसमें स्पैम, ईमेल फ़िशिंग, स्पिफयर फ़िशिंग, व्हेलिंग, विशिंग धोखाधड़ी, ड्राइव बाई डाउनलोड, ब्राउज़र गेटवे धोखाधड़ी, घोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लाइट, धोखाधड़ी पहचान, मेमोरी अपडेट धोखाधड़ी, पासवर्ड से संबंधित धोखाधड़ी, आदि शामिल है, से निपटने के लिए आवश्यक डिटेक्टिव और सुधारात्मक उपाय / कदम उठाया जाना चाहिए।

संगठनात्मक व्यवस्था

यूसीबी द्वारा संगठनात्मक व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए ताकि त्वरित कार्रवाई करने हेतु सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उपयुक्त / संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।

साइबर सुरक्षा जागरूकता

साइबर जोखिम प्रबंधन हेतु साइबर सुरक्षा परिवेश का सृजन करने के लिए संपूर्ण संगठन की प्रतिबद्धता ज़रूरी है। इस हेतु बोर्ड और शीर्ष प्रबंध-तंत्र सहित सभी स्तरों के स्टाफ के बीच उच्च कोटि की जागरूकता/ समझ होना ज़रूरी है। शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों, वेंडरों, सेवा प्रदाताओं और अन्य संबंधित पार्टियों के बीच साइबर सुरक्षा उद्देश्यों की जानकारी सक्रिय ढंग से पैदा करें। ग्राहकों, कर्मचारियों, वेंडरों, सेवा प्रदाताओं आदि के बीच साइबर हमलों के संभावित प्रभाव के संबंध में सुरक्षा जागरूकता पैदा करना जिससे शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा तत्परता में मदद मिलेगी।

ग्राहक संबंधी सूचना की रक्षा सुनिश्चित करना

शहरी सहकारी बैंकों को, ग्राहक के संवेदनशील आंकड़े का स्वामी होने के नाते उनकी गोपनीयता, विश्वस्तता और उपलब्धता को सुरक्षित रखने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए, चाहे आंकड़े भंडारित हों/ उनके भीतर या तीसरी पार्टी वेंडर के साथ ट्रांजिट में हों; ऐसी अभिरक्षाधीन सूचना की गोपनीयता के साथ किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों में आंकड़े/ सूचना के संपूर्ण जीवनचक्र में उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हों। जहां तक ग्राहकों का संबंध है शहरी सहकारी बैंक उन्हें साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों की जानकारी दें और उनके बीच जागरूकता पैदा करें।

पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग ढांचा

शहरी सहकारी बैंक साइबर सुरक्षा संबंधी सभी असाधारण घटनाओं (चाहे उनमें कामयाबी हासिल हुई हो या फिर कोशिश की गई हो) की रिपोर्ट सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, पहली मंज़िल, बीकेसी, मुंबई 400 051 को पूरे ब्योरे के साथ ई-मेल के माध्यम से तत्काल भेजें। यदि साइबर सुरक्षा संबंधी कोई घटना घटी न हो तो तिमाही आधार पर 'कुछ नहीं' रिपोर्ट भेजें।

पृष्ठभूमि

बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है और अब यह बैंकों की परिचालनात्मक कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। बैंकों सहित वित्तीय क्षेत्र के मामलों में साइबर घटनाओं / हमलों की संख्या, आवृत्ति और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। निरंतर आधार पर अपनी आस्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूसीबी में एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। अत: अब यह आवश्यक हो गया है कि साइबर जोखिमों से निपटने के लिए मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करके साइबर खतरों के प्रति शहरी सहकारी बैंकों की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11397Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा-स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक को विभिन्न बैंकों से उनकी संबन्धित मुद्रा तिजोरियों में आवधिक अग्नि लेखा परीक्षा करने के लिए राज्य / जिला अग्निशमन विभाग में स्टाफ की अनुपलब्धता के बारे में संदर्भ प्राप्त हो रहे थे। इस मामले की जांच की गई तथा 25 अक्तूबर 2018 को यह निर्णय लिया गया है कि जिला अग्निशमन विभाग में स्टाफ की अनुपलब्धता होने के मामले में, अग्नि लेखा परीक्षा का आयोजन संबन्धित राज्य / जिला अग्निशमन विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों द्वारा भी करवाया जा सकता है ।

पृष्ठभूमि

मुद्रा तिजोरी रखने वाले सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था कि वे दो वर्ष में एक बार जिला अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से मुद्रा तिजोरियों की अग्नि लेखा परीक्षा का आयोजन करवाएँ। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11401Mode=0)

वित्तीय बाजार विनियमन

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों की काल/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाजार में पहुँच

रिज़र्व बैंक ने 29 अक्तूबर 2018 को स्पष्ट किया कि भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक उधारकर्ता और उधारदाता दोनों के रूप में काल/नोटिस/मीयादी मुद्रा बाजार (इसके बाद काल मुद्रा बाजार के रूप में संदर्भित) में भागीदारी करने के पात्र हैं। यह पात्रता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में इन्हें शामिल किए जाने की प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले भी वैध है।

भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए कॉल मुद्रा बाजार के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं और अन्य दिशानिर्देश वैसे ही होंगे जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू हैं।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्ल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस तरह से इसे समर्थ बनाने वाली शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser. aspx?Id=11405Mode=0)

गैर बैंकिंग विनियमन

मास्टर निदेश – प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर 2018 को, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियमन 2002 (अधिनियम) के तहत पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड पर निदेश जारी किए है।

इन निदेशों के प्रावधान एआरसी के वर्तमान और प्रस्तावित प्रायोजकों पर लागू होंगे।

एआरसी के प्रायोजकों के 'उचित और उपयुक्त' स्थिति के निर्धारक

कोई प्रायोजक उचित और उपयुक्त है अथवा नहीं यह निर्धारित करने के लिए बैंक उपयुक्ततानुसार सभी प्रासंगिक कारकों को शामिल करेगा, किन्तु यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है :

- प्रायोजक की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, ट्रैक रिकॉर्ड और लागू नियमों और विनियमों के संबंध में अनुपालन;
- प्रायोजक एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं के संबंध में कारोबार संचालित करने का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा ऐसा हो कि वह उत्तम कारपोरेट गवर्नेंस, सत्यनिष्ठा के अनुरूप हो;
- प्रायोजक का कारोबार रिकार्ड और अनुभव;
- अधिग्रहण के लिए निधियों का स्रोत और स्थिरता तथा वित्तीय बाजारों तक पहुँच की क्षमता;
- शेयरधारिता करार और एआरसी के नियंत्रण तथा प्रबंधन में उनका प्रभाव।

मौजूदा प्रायोजकों के लिए समुचित सावधानी बरतने के लिए निरंतर जांच व्यवस्था

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रायोजक 'उचित और उपयुक्त' हैं, प्रत्येक एआरसी

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर इन निदेशों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट में अपने सभी प्रायोजकों से घोषणा फॉर्म प्राप्त करेंगे;
- प्रत्येक वर्ष के मई माह के अंत तक प्रायोजक की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में में प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक को भेजें।
- यदि एआरसी के पास प्रायोजकों से संबंधित ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति इन शेयरों को धारण करने के लिए उचित और उपयुक्त नहीं रह जाते है; तो वे इसकी जांच करेगी तथा इसके संबंध में बैंक को रिपोर्ट करेगी।

पूर्वानुमोदन आवश्यकता का अनुपालन

- एआरसी की शेयरधारिता में परिवर्तन हेतु बैंक से पूर्वानुमोदन लेने के लिए एआरसी इन निदेशों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आवेदन करेगी।
- कोई प्रायोजक उचित और उपयुक्त है या नहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकतानुसार अन्य देशी तथा विदेशी विनियामकों और प्रवर्तन एवं जांच एजेंसियों से प्रायोजक के संबंध में प्रतिपुष्टि प्राप्त करेगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11402Mode=0)

प्रकाशनियां

अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) वार्षिक वृद्धि पहली तिमाही में कम हुई

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 प्रमुख नगरों अर्थात मुंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बेंगलूरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर और कोच्ची) में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन आंकड़ों के आधार पर 2018-19 की पहली तिमाही के लिए तिमाही आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)1 (आधारः 2010-11=100) जारी किया। अखिल भारतीय स्तर और नगरवार एचपीआई पर समय-श्रृंखला आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल (https://dbie.rbi.org.in/DBIE/dbie.rbi?site=statisticsRealSector PriceWages Quarterly) पर उपलब्ध हैं।

मुख्य बातें:

- अखिल भारतीय एचपीआई ने 2017-18 की चौथी तिमाही से 2018-19 की पहली तिमाही तक 2.5 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज की।
- क्रमिक रूप में, नगर-वार बड़ी भिन्नता देखी गई जिसमें दिल्ली ने उच्चतम वृद्धि (5.3 प्रतिशत) और कानपुर ने उच्चतम संकुचन [(-)2.4 प्रतिशत] दर्ज किया।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, अखिल भारतीय एचपीआई ने पिछली तिमाही में देखी गई 6.7 प्रतिशत तथा एक वर्ष पूर्व की 8.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की ।
- दिल्ली को छोड़कर, अन्य सभी शहरों में वार्षिक आधार पर आवास मूल्य में वृद्धि हुई है।
- वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में, नगर-वार आवास मूल्य गतिविधियों में बड़े विचलन देखे जा सकते हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45268)

भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर – भारत का निवेश चक्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 अक्टूबर 2018 को अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के अंतर्गत ''भारत का निवेश चक्रः अनुभवजन्य जांच'' शीर्षक से वर्किंग पेपर उपलब्ध कराया है। यह पेपर जनक राज, सत्यानन्द साहू और शिव शंकर द्वारा लिखा गया है।

यह पेपर निवेश चक्र की अवधि का अनुमान लगाता है और भारत में निवेश गतिविधि के निर्धारक तत्वों की जांच करता है। पेपर के निष्कर्ष के अनुसार, भारत में वास्तविक दर ने 1950-51 से 2017-18 की अवधि के दौरान तीन वर्षीय चक्र का अनुसरण किया। व्यापक रूप से दो वर्ष और उससे ऊपर की अवधि के संकुचन/विस्तार की नौ घटनाएं हुई। 2011-12 से 2015-16 तक निवेश गतिविधि में गिरावट प्रवृत्ति और चक्रीय दोनों प्रकार के घटकों के कारण हुई। निवेश गतिविधि का अपघटन सुझाता है कि प्रवृत्ति घटक 2011-12 से निरंतर रूप से कम हुआ है, चक्रीय घटक 2016-17 से बदला है। निवेश चक्र में चालू सुधार का अनुमान 2022-23 तक चलने का लगाया गया है जब निवेश दर वर्तमान 31.4 प्रतिशत से बढ़कर 33.0 प्रतिशत हो सकती है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जीडीपी वृद्धि, वास्तविक ब्याज दर और बैंक क्रेडिट भारत में निवेश गतिविधि के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। सकल राजकोषीय घाटे की वजह से निवेश गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=45250)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।